WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062025-264084
CG-DL-E-24062025-264084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947
No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

संख्या 19/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 407(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डिकोर पेपर" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में शुल्क के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/15/2023-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च, 2024, जिसे दिनांक 28 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/15/2023-डीजीटीआर, दिनांक 25 मार्च, 2025, जिसे 25 मार्च, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने मध्यकालिक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की मौजूदा शुल्क तालिका में संशोधन किया जाए।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 9100, 4802 2090	डिकोर पेपर*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	शेडोंग बॉक्सिंग औहुआ स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड	110	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	4805 9100, 4802 2090	डिकोर पेपर*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड	110	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	4805 9100, 4802 2090	डिकोर पेपर*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	हांग्जो हुआवांग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	297	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	4805 9100, 4802 2090	डिकोर पेपर*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम संख्या 1, 2 और 3 में	542	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

				सहित कोई भी देश	उल्लिखित से भिन्न कोई भी			
5.	4805 9100, 4802 2090	डिकोर पेपर*	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	542	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

***** *40-130 जीएसएम के रील फॉर्म के रूप में अनकोटेड पेपर जिनकी क्लेम अवशोषकता कम से कम 12 मिमी प्रति 10 मिनट हो, टेनसाइल स्ट्रेंथ 6-12 एन/15 मिमी हो और गुर्ली पोरोसिटी 10-40 सेकेंड/100 मिलीलीटर, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट्स फिलर के रूप में मौजूद हों। इसमें हाई प्रेशर के बेस पेपर (एचपीएल) या लो-प्रेशर डेकोरेटिव लेमिनेट्स (एलपीएल) आते हैं, जिन्हें डिकोर पेपर, डेकोरेटिव बेस पेपर, हाई-प्रेशर के डेकोरेटिव पेपर या लो-प्रेशर लेमिनेट्स, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें 4811 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डिकोर पेपर शामिल नहीं हैं।*

प्रशंगत उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डिकोर पेपर जैसे कि सरफेसिंग पेपर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/ सफ़ेद) आते हैं। ***लेकिन इसमें 4811 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डिकोर पेपर शामिल नहीं हैं।*** *इनका वैक्सिंग, कोटिंग और इम्प्रेग्नेशन के लिए बेस पेपर के रूप में; प्रिंटिंग के बेस पेपर के रूप में; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग किये जाने के लिए बेस पेपर के रूप में आयात किया जा सकता है, और यह विभिन्न आकार के जैसे कि 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के हो सकते हैं।*

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/287/2021–टीआरयू]

धीरज शर्मा ,अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को सा.का.नि 882 (अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 मई, 2022, जिसे सा.का.नि 387(अ), दिनांक 24 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2025

No. 19/2025 -Customs (ADD)

G.S.R. 407(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification number 7/15/2023-DGTR, dated the 28th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th March, 2024, had initiated review under sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), regarding the need for redetermination of duty in the matter of anti-dumping duty imposed on imports of 'Decor Paper' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2021–Customs (ADD), dated the 27th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021;

And whereas, the designated authority in its final findings in the mid-term review *vide* notification F.No. 7/15/2023-DGTR, dated the 25th March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 25th March, 2025, has recommended modification of existing duty table in notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2021–Customs (ADD), dated the 27th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882 (E), dated the 27th December, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2021 – Customs (ADD), dated the 27th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"Table

Sl. no.	Tariff item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Shandong Boxing Ouhua Special Paper Co., Ltd.	110	MT	USD
2.	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Zibo OU-MU Special Paper Co., Ltd.	110	MT	USD

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

3.	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd.	297	MT	USD
4.	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper*	People's Republic of China	Any country, including People's Republic of China	Any other than at Sl. no. 1, 2 and 3	542	MT	USD
5.	4805 9100, 4802 2090	Decor Paper*	Any Country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	542	MT	USD

**uncoated paper in reel form of 40-130GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decor paper, decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed decor paper classifiable under 4811.*

The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white) ***but excludes printed decor paper classifiable under 4811****. It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.*

[F. No. CBIC-190354/287/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 77/2021-Customs(ADD), dated the 27th December, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 882(E), dated the 27th December, 2021 and last amended *vide* notification No. 15/2022-Customs(ADD), dated the 24th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 387(E), dated the 24th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.